


फर्दे अहकाम

(निगम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी / सिकराय

सरकार बनाम वसीयत / राज ठाकरे

किरम मुकदमा 136 मु० नं० 47/2024

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4-6-24	<p>पत्रावली दर्ज होकर पेश। पण्डित की रिपोर्ट का आवलोकन किया गया। पार्सी क्वी प्रसाद पुत्र दुग्ध्या जाति मीणा की पिता दुग्ध्या से विरासत में आयी कृषि भूमि ग्राम डोलिया के खता सं. 11, 54, 102 व 159 में स्थित है। खता सं. 11, 102 व 159 में वादी का नाम वर्तमान खतेश्वर (विरासत से प्राप्त भूमि) दर्ज है। खता सं. 54 की खतेश्वरी भूमि में जमाबंदी सं. 2064-71 में पार्सी क्वी का नाम वर्तमान खतेश्वर दर्ज है जबकि एक संपूजा जमाबंदी 2072-75 में वादी का नाम दर्ज नहीं है जो एक लिपिकीय त्रुटि की प्रतीति में आता है। अतः उपरोक्त त्रुटि सिकराय में खता सं. 54 में पार्सी क्वी प्रसाद को राखकर रिकार्ड में पूर्व जमाबंदी अनुसार, दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। उपरोक्त खतेश्वर की निर्णय की पालना हेतु तद्वरीय जारी है।</p> <p style="text-align: center;">  <u>24.6.24</u> उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा </p>	